कार्यालय–प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक खनन गौला हल्द्वानी,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम,खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग–हल्द्वानी(नैनीताल)।

निकट–आदित्य बैकटहॉल, गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा हल्द्वानी(नैनीताल) e-mail :ukhld@yahoo.in

पत्रांक– / निविदा/श्रमिक कल्याण , दिनांक–

मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट आपूर्ति हेतु आमन्त्रित निविदा की शर्तें एवं कार्य विवरण

इस कार्यालय की पत्र संख्या–1624/निविदा/श्रमिक कल्याण , दि0–17–12–2025 द्वारा गौला एवं नन्धौर नदी के अन्तर्गत मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट आपूर्ति आदि कार्य हेतु इच्छुक मूल निर्माता / अधिकृत विक्रेता व विक्रेताओं से उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कु0क्षे0) हल्द्वानी के अन्तर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, गौला एवं नन्धौर खनन प्रभागों के अन्तर्गत उपखनिज चुगान कार्यों में लगने वाले श्रमिकों हेतु जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास निधि से प्राप्त धनराशि से निम्नानुसार गौला नदी के शीशमहल से शान्तिपुरी एवं नन्धौर–कैलाश नदी के कड़ापानी प्रथम से उकरौली निकासी गेटों के अन्तर्गत अनुमानित कमशः 23 (गौला खनन क्षेत्र हेतु) व 12 (नन्धौर–कैलाश खनन क्षेत्र हेतु) अर्थात् कुल 35 मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट कय एवं फिक्सिंग किये जाने है। जिसमें कमी या वृद्धि भी की जा सकती है। जिसके लिए निर्धारित निविदा फार्म में दिनांक–**30–12–2025** के अपरान्ह 01.00 बजे तक सील बन्द निविदा पंजीकृत / स्पीड पोस्ट / कोरियर डाक द्वारा आमन्त्रित की गई हैं, जो उसी दिन अपरान्ह 02.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं / प्रतिनिधियों के समक्ष क्षेत्रीय प्रबन्धक(कु0क्षे0) उत्तराखण्ड वन विकास निगम , हल्द्वानी द्वारा गठित समिति / प्रतिनिधि द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि को अवकाश होने अथवा अपरिहार्य कारणों से निविदाऐं अगले कार्य दिवस में निर्धारित समय पर खोली जायेगी। निविदा फार्म एवं शर्तें दिनांक–**29–12–2025** तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित शुल्क रू0–1,500.00 + जी0एस0टी0 जमा कर इस कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा शर्त उत्तराखण्ड वन विकास निगम की वेबसाईट http://www.uafdc.in/tenders.html से डाउनलोड की जा सकती हैं। सामग्री का विवरण तथा निविदा शर्तें निम्नवत् है:–

क0सं0	कार्य	विवरण	अनुमानित कुल मात्रा	जमानत राशि (रू0)
1.	मोबाइल टॉयलेट (स्टील)	साईज– ल0 4 x चौ0 4 x ऊ0 8 फिट इण्डियन शीट, सहायक उपकरण, वेंटिलेशन , ओवरहेड टंकी मय फिटिंग / फिक्सिंग एवं बायोडिग्रेडेबल सीवरेज टैंक निर्माण सहित (उक्त टॉयलेट कम से कम 1 से 1.5 इंच के लोहे के पाईप एवं 18 गेज की चादर या टिन से बना हो तथा अन्दर से 8 एम.एम. की बाइसन बोर्ड व बेस में 18 एम.एम. की बाइसन बोर्ड से निर्मित हो निर्धारित गेटों के समीप पहुँचाकर फिटिंग सहित)	35 (नग)	60,000.00

(क) **कार्य विवरण**–(1) – संरचनात्मक ढांचा स्टील , 1 से 1.5 इंच लोहे के पाईप, 18 गेज की चादर, अन्दर से 8 एम.एम. की बाइसन बोर्ड व बेस में 18 एम.एम. की बाइसन बोर्ड से निर्मित, आयरन शीट से पूरी तरह वेल्डेड, बाहय आवरण इन्सुलेशन अन्य बाहय उपकरण शामिल हैं। वेल्डेड एम0एस0 बॉक्स, सेक्शन फर्श, सीमेन्ट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड, साईड व अन्त की दीवारें 1.2 मिमी0 की एम0एस0 प्रेस्ड, स्टील शीट और निचले एम0एस0 चैनल फ्रेम, कोने के खम्में, शीर्ष फ्रेम और छत के फ्रेम पर वेल्डेड , ओवरहेड पानी टंकी 300 लीटर की उपलब्ध करायी जानी होगी। मोबाइल टॉयलेटों के बाहरी आवरण को हरे रंग में रंग–रोगन किया जाना होगा।

(2)– मोबाइल टॉयलेट समस्त व्यय सहित मय फिटिंग बायोडिग्रेडेबल सीवरेज टैंक निर्माण सहित जिसमें पिट का साईज ल0 4 x चौ0 4 x ऊ0 4 फिट सीमेन्ट, ईंट व सरिया से ढक्कन सहित निर्मित किये जाने हैं।

नोटः– उपरोक्त अनुमानित दर्शायी गयी मात्रा में कमी/वृद्धि सम्भावित है।

(ख) **निविदा प्रेषण हेतु पता :–** प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी
निकट–आदित्य बैकट हॉल , गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा , हल्द्वानी
जिला– नैनीताल (उत्तराखण्ड)

(ग) **अर्नेस्टमनी (निविदा प्रतिभूति) :–**निविदा प्रपत्र के साथ उपरोक्तानुसार निविदा प्रतिभूति मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट कय एवं फिक्सिंग कार्य हेतु रू0–60,000.00 (साठ हजार) मात्र की वाणिज्यिक बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0, जो कि प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बन्धक हो, संलग्न किया जाना अनिवार्य है।एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 की वैधता अवधि कम से कम 45 दिन होनी अनिवार्य है।

(घ) **कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि** – सफल निविदादाता को मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट कय एवं फिक्सिंग आदि कार्य हेतु धनराशि रू0–1,60,000.00 (एक लाख साठ हजार) मात्र कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि के रूप में जमा करनी होगी। कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो वाणिज्यिक बैंक से निर्गत प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पदनाम बंधक हो, जमा करना अनिवार्य होगा। कार्यपूर्ति प्रतिभूति(धरोहर) की एफ0डी0आर0/ एस0टी0डी0आर0/ सी0डी0आर0 की वैधता अवधि 60 दिन होनी अनिवार्य है।

(ङ.) एम0एस0एम0ई0 में पंजीकृत निविदादाताओं हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(च) निविदा हेतु सामान्य शर्तें :-

1. निविदा सील बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी।
2. निविदा फार्म में किसी प्रकार का उपरिलेखन (ओवर राईटिंग) एवं कांट-छांट (कटिंग) मान्य नहीं होगी।
3. निविदा निर्धारित फार्म में ही प्रस्तुत की जानी अनिवार्य है।
4. निविदादाता को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफे में डालकर मूल लिफाफे के अन्दर ही रखकर प्रेषित करनी होगी। वित्तीय निविदा कार्यालय द्वारा जारी निर्धारित फार्म में ही मान्य होगी। वित्तीय लिफाफे के ऊपर **"मोबाइल पोर्टेबल टॉयलेट आपूर्ति एवं फिक्सिंग कार्य हेतु वित्तीय निविदा"** तथा तकनीकी लिफाफे के ऊपर **"पोर्टेबल टॉयलेट आपूर्ति एवं फिक्सिंग कार्य हेतु तकनीकी निविदा"** अंकित करना अनिवार्य है।
5. निविदा फार्म एवं शर्तें रू0-1,500.00 + जी0एस0टी0 भुगतान करने पर किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. निविदा केवल पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट / कोरियर द्वारा उपरोक्त पते पर इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा फार्म में निर्धारित समय तक प्राप्त होनी अनिवार्य है। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं को सम्मिलित नहीं किया जायेगा। निविदादाता को प्रस्तुत निविदा फार्म में पत्र व्यवहार का पूर्ण पता अंकित करना होगा, सिर्फ उसी पते पर पत्राचार किया जायेगा।
7. निविदादाता को किसी शासकीय / अर्द्धशासकीय / संस्थान में कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करने पर प्राथमिकता दी जायेगी।
8. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. सफल निविदादाता द्वारा सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब होने अथवा सामग्री खराब होने की दशा में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा अर्थदण्ड लगाया जा सकता है, जो कि कार्यपूर्ति प्रतिभूति से समायोजित किया जा सकेगा एवं सफल निविदादाता को मान्य होगा।
10. विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में किसी विलम्ब / गड़बड़ी के लिए वन विकास निगम उत्तरदायी नहीं होगा और न ही कोई दावा स्वीकार होगा।
11. निविदा के साथ वांछित प्रमाण पत्रो, आयकर (PAN), जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र आदि जो कि स्वप्रमाणित हो संलग्न करना अनिवार्य है। भविष्य में इन अभिलेखों के मूल पत्रो के अवलोकन हेतु वन विकास निगम द्वारा मॉगे जाने पर निविदादाता द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निविदा के साथ जमानत हेतु वांछित धनराशि की एफ0डी0आर0/एस0टी0डी0आर0/सी0डी0आर0 वाणिज्यिक बैंक से निर्गत जो कि **"प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी"** के पदनाम बन्धक हो संलग्न किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा प्रथम दृष्टया अस्वीकृत कर दी जायेगी।
13. निविदादाता को कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) धनराशि कार्य पूर्ण होने के पश्चात आवेदन करने पर वापस की जायेगी।
14. प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति आदि की कर्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारियों को प्रेषित किया जायेगा। तद्नुसार स्वीकृत दरें सम्बन्धित निविदादाता को मान्य होगी, जो प्राप्त निविदा दर से कम / बराबर होगी। प्राप्त स्वीकृत दरों पर कोई प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।
15. उपरोक्त आवश्यकता की मात्रा अनुमानित है। जिसमें कमी / वृद्धि संभावित है। तत्कालिक वास्तविक आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति आदेश जारी किया जाएगा। बिल प्राप्त होने के पश्चात ही भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
16. निविदा में जी0एस0टी0 का उल्लेख न होने पर निविदा दर जी0एस0टी0 सहित मानी जायेगी। निविदा, निविदादाता द्वारा हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है।
17. सामान्यतः गुणवत्ता अनुकूल होने पर निविदा न्यूनतम निविदा मूल्य/कर के आधार पर स्वीकृत की जायेगी। किन्तु गुणवत्ता के अभाव में न्यूनतम दरों को स्वीकृत करने हेतु वन विकास निगम / समिति बाध्य नहीं होगी। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार वन विकास निगम के पास सुरक्षित होगा।
18. निविदादाता द्वारा, निविदा में सामग्री की दर एवं जी0एस0टी0 का स्पष्ट एवं अलग-अलग उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अलग से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। निविदादाता की स्वीकृत दरें सम्पूर्ण खनन सत्र 2025-26 के लिये लागू मानी जायेगी। उक्त अवधि में दरों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जायेगी। निविदादाता को भुगतान से पूर्व सम्बन्धित खनन प्रभागों में बिल (Invoice) प्रस्तुत करना होगा। गठित समिति द्वारा सामग्री की गुणवत्ता की जॉच करने के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
19. निविदा प्रकिया आंशिक या पूर्ण निरस्त / स्थगित होने पर कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।
20. उपरोक्त सामग्री विवरणानुसार निर्धारित मापदण्ड के अनुसार होना आवश्यक है ।
21. निविदादाता द्वारा निविदा के साथ प्रस्तावित मोबाइल टॉयलेट के अन्दर व बाहर के 04-04 रंगीन फोटोंग्राफ अलग-अलग दिशाओं के संलग्न किये जाने अनिवार्य हैं।
22. निविदादाता द्वारा निविदा में अंकित सामग्री की गुणवत्ता व उत्पाद निर्माण में भिन्नता के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त होती है व सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक द्वारा पुष्टि किये जाने पर निविदादाता की कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि जब्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

23. एक समान न्यूनतम निविदा दर होने पर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2025 के अनुबन्धों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

24. सफल निविदादाता को पंजीकृत डाक / व्हाटएप/ ई–मेल इत्यादि द्वारा आपूर्ति आदेश की सूचना यथासमय आवश्यकतानुसार दी जायेगी।

25. कार्यादेश / आपूर्ति आदेश के 15 दिन के अन्दर उपरोक्त सामग्री आपूर्ति, फिक्सिंग व निर्माण कार्य को पूर्ण करना होगा, जो कि खनन प्रभाग के निम्नलिखित निकासी गेटों पर आपूर्ति, फिक्सिंग व निर्माण कार्य करना होगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा। स्वीकृत निविदा दरों में किसी भी प्रकार का संशोधन / आपत्ति / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

क्र0सं0	गौला नदी हेतु निकासी स्थल
1	शीशमहल
2	राजपुरा
3	इन्द्रानगर
4	ऑवलाचौकी
5	गोरापड़ाव
6	मोटाहल्दू
7	बेरीपड़ाव
8	हल्दूचौड़
9	देवरामपुर
10	लालकुँआ
11	शान्तिपुरी

क्र0सं0	नन्धौर–कैलाश नदी हेतु निकासी स्थल
1	कड़ापानी प्रथम
2	नन्धौर द्वितीय
3	कड़ापानी
4	एम0बी0आर0 प्रथम
5	एम0बी0आर0
6	उकरौली

26. विलम्ब / निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप आपूर्ति न करने पर विलम्ब शुल्क आरोपित किया जा सकता है तथा जमानत जब्त कर आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। कार्यादेश / आपूर्ति आदेश जारी होने की निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सामग्री आपूर्ति, फिक्सिंग व निर्माण कार्य न किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक को अधिकार होगा कि कार्यपूर्ति प्रतिभूति धनराशि को जब्त करते हुए नियमानुसार कमशः द्वितीयक एवं तृतीयक निविदादाता से कार्य कराये जाने हेतु स्वतन्त्र होगा।

27. निविदादाता के भुगतान के समय लागू आयकर व जी0एस0टी0 की नियमानुसार स्रोत पर कटौती की जायेगी।

28. निविदादाता द्वारा जारी टैक्स इनवाईस की जी0एस0टी0 रिटर्न निर्धारित समय से फाईल की जायेगी। यदि उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा भुगतान की गई जी0एस0टी0 की धनराशि जी0एस0टी0 पोर्टल पर GSTR 2A में प्रदर्शित नहीं हुई, जिस कारण भुगतान की गई जी0एस0टी0 का ITC Claim नहीं मिला तो उसकी वसूली निविदादाता के आगामी भुगतान से कर ली जायेगी अथवा कार्यपूर्ति प्रतिभूति से की जायेगी।

29. निविदा आंशिक या पूर्ण रूपेण किसी स्तर पर निरस्त / स्थगित होने की दशा में कोई क्लेम / प्रत्यावेदन मान्य नहीं होगा।

30. सफल निविदादाता को कार्य पूर्ण होने के उपरान्त सम्बन्धित विभाग / अधिकारी / गेट अनुभाग अधिकारी से सन्तोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त कार्यपूर्ति प्रतिभूति वापस की जायेगी।

31. किसी भी प्रकार का कानूनी विवाद होने की स्थिति में विधिक कार्य क्षेत्र (Legal jurisdiction) हल्द्वानी, नैनीताल जनपद में होगा।

32. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में **क्षेत्रीय प्रबन्धक(कुक्षे0)**, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, हल्द्वानी आर्बीट्रेटर होंगे तथा उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

33. उपरोक्त शर्तों में किसी भी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर शर्त निरस्त करने अथवा संशोधित / परिवर्तित करने एवं नवीन शर्तों को शामिल करने का पूर्णाधिकार प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी के पास सुरक्षित रहेगा।

34. उपरोक्तानुसार समस्त शर्तों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं शिथिलता पाये जाने अथवा उल्लंघन करने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी रहेगा। जिस हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

<u>संलग्न– वित्तीय निविदा फार्म</u>

(धरिश चन्द्र बिष्ट)
प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक
उत्तराखण्ड वन विकास निगम
खनन गौला हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी